2018/00094

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

नम्बर व तारीख हुक्काम जो इस मामले की तामील में जारी हुए

प्रकरण संख्या : 73/2016 (अपील)

उनवान

किशनलाल आत्मज स्व0 श्री पांचूलाल जाति रेगर निवासी मोईकलां तहसील सांगोद जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. भगवान लाल आत्मज श्रीलाल
2. कृष्ण मुरारी आत्मज श्री भगवान लाल
3. मधुसूदन आत्मज श्री भगवानलाल
4. सुरेश कुमार आत्मज श्री भगवानलाल
   जाति धाकड निवासी मं0 नं0 399(2) जयपाल जी का स्थान मोईकलां तहसील सागोंद
5. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सांगोद जिला कोटा
6. उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

(रेस्पोडेण्टस)

उपस्थित :– 1. श्री सम्पूर्णानन्द राय (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री उत्पल शर्मा (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट नं0 3 व 4)
3. आशिष अग्रवाल (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट नं0 1 व 2)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी न्यायालय तहसीलदार सांगोद के आदेश दिनांक 7.09.2010 इंतकाल नं0 495

प्रकरण संख्या : 74/2018 (अपील)

उनवान

किशनलाल आत्मज स्व0 श्री पांचूलाल जाति रेगर निवासी मोईकलां तहसील सांगोद जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. भगवान लाल आत्मज श्रीलाल
2. सुरेश कुमार आत्मज श्री भगवानलाल
   जाति धाकड निवासी मं0 नं0 399(2) जयपाल जी का स्थान मोईकलां तहसील सागोंद
3.. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सांगोद जिला कोटा

(रेस्पोडेण्टस)

उपस्थित :– 1. श्री सम्पूर्णानन्द राय (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. आशिष अग्रवाल (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट नं0 1 व 2)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी न्यायालय तहसीलदार सांगोद के आदेश दिनांक 27.05.2011 इंतकाल नं0 585

निर्णय दिनांक : 10.12 .2019

1. प्रस्तुत दोना अपील सं0 73/2016 व 74/2018 एक ही भूमि तथा पक्षकारो से संबंधित होने से एक साथ निर्णय पारित किया जा रहा है । अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक ये अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगोद के आदेश दिनांक 07.09.2010 इंतकाल नं0 495 व नामान्तरकरण सं0 585 दिनांक 27.05.2011 की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के खाते कब्जे काश्त की आराजी ग्राम मोईकलां तहसील सांगोद मे स्थित है जिसका खाता संख्या 394, खसरा नं0 886 रकबा 4.12 हेक्टर, व ख0 नं0 1891 रकबा 0.42 हैक्टर कुल रकबा 4.55 हैक्टर है । उक्त आराजी के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने रेस्पो0 क्रम 2,3 व 4 के द्वारा रेस्पो0 क्रम 6 के न्यायालय मे एक वाद धारा 88 आर.टी. एक्ट का मार्च 2010 मे प्रस्तुत करवाया गया । जिसका केस नं0 43/10 बउनवान कृष्णमुरारी बनाम भगवान लाल जिसका न्यायालय द्वारा दिनांक 21.05.2010 को निर्णय करते हुए वादीगण का वाद डिक्री किया गया और डिक्री के आधार पर रेस्पो0 क्रम 5 द्वारा उक्त आराजी पर दिनांक 07.09.2010 को इन्तकाल नं0 495 को तस्दीक करते हुए रेस्पो0 क्रम 2,3 व 4 के नाम खोला जाकर खाते मे दर्ज किया गया और उक्त आराजी का रेस्पो0 क्रम 1,2,3 व 4 के खाते मे 1/4– 1/4 हिस्सा दर्ज किया गया । उक्त इन्तकाल के आधार पर भूमि का बंटवारा किया गया है ।

अपीलान्ट के दो पुत्र रेस्पो0 क्रम 1 के उक्त खेत पर दिनांक 22.02.2007 को दिनेश कुमार भाई जगदीश और रामप्रसाद माली, दीपक, धन्नालाल, विष्णु ब्रा0 सभी सरसो निकलवाने के लिए मजदूरी करने गये थे जहां से सरसों की बोरियां भरकर रेस्पो0 क्रम 1 के ट्रेक्टर नं0 RJ 20 R 6935 व ट्रोली मे भरकर खेत से घर मोईकलां लेकर आ रहे थे । रास्ते में ट्रेक्टर व ट्रोली पलट जाने से अपीलान्ट का पुत्र दिनेश कुमार दब गया । जिसको अस्पताल ले जाते समय रास्ते मे मृत्यु हो गई थी । जिसके सम्बन्ध मे अपीलान्ट व दिनेश कुमार के सम्पूर्ण वारिसों ने न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण कोटा मे रेस्पो0 क्रम–1 के ऊपर क्लेम प्रस्तुत किया गया । जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा दिनांक 7.6.2008 को करते हुए अपीलान्ट के पक्ष मे तथा रेस्पो0 क्रम 1 के विरूद्व अन्तिम पंचाट की राशि 4,48,600/–रूपये(अक्षरे चार लाख अडतालिस हजार छः सौ रूपये) का आदेश पारित किया गया तथा उक्त राशि का क्लेम पेश करने की दिनांक से तावसूली 6 प्रतिशन ब्याज भी दिलाया गया था । अपीलान्ट ने क्लेम कोर्ट के निर्णय के आधार पर न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा प्राधिकरण कोटा मे दिनांक 08.08.2008 को वसूली राशि 4,82,110/–रूपये मय ब्याज के प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया । जिसमे वसूली की राशि उक्त आराजी ख0 नं0 886 रकबा 4.13 है0 व ख0 नं0 1891 रकबा 0.42 हैक्टर तथा चल अचल सम्पत्ति से वसूल कर अपीलान्ट को दिलवाये जाने हेतु वसूली हेतु न्यायालय द्वारा वारन्ट जारी किया गया । उक्त आदेश की अपील मा0 राज0 उच्च न्यायालय जयपुर मे कर दी गई थी । जिसमे स्थगन आदेश हो गया है तब से उक्त वसूली का प्रार्थना पत्र इन्तजार आदेश मे चल रहा था । इस दौरान रेस्पो0 क्रम 1 ने रेस्पो0 6 के न्यायालय मे धारा 88 आर.टी. एक्ट के तहत दावा प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद के निर्णय दिनांक 21.05.2010 को दावा डिक्री किया गया । जिसे आधार पर तहसीलदार सांगोद द्वारा दिनांक 07.09.2010 को इन्तकाल नं0

'495 खोला जाकर उक्त आराजी का बंटवारा करते हुए राजस्व रिकार्ड मे रेस्पो0 क्रम 1 से 4 भगवान लाल, कृष्णमुरारी,मधुसूदन, सुरेश के 1/4 व 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया गया तथा रेस्पो0 क्रम 1 के हिस्से मे आई आराजी 1/4 भाग का भी रेस्पो0 नं0 4 सुरेश के पक्ष मे दिनांक 26.04.2011 को रिलीज डीड को तस्दीक करवाकर उसके आधार पर रेस्पो0 क्रम 4 सुरेश के पक्ष मे रिलीज डीड के आधार पर इन्तकाल नं0 585 दिनांक 27.05.2011 को तस्दीक करते हुए राजस्व रेकार्ड मे नाम दर्ज कर दिया गया । इस प्रकार सम्पूर्ण आराजी को रेस्पो0 क्रम 2,3 व 4 कृष्ण मुरारी, मधुसूदन,सुरेश के नाम कर दी गई । इस प्रकार रेस्पो0 नं0 1 ने अपीलान्ट की क्लेम वसूली राशि से बचने के लिए उक्त आराजी को खुर्द बुर्द करते हुए षडयन्त्र पूर्वक उक्त इन्तकाल खोला गया है जो अपास्त होने योग्य है ।

रेस्पो0 नं0 1 ने राज0 उच्च न्यायालय जयपुर मे अपील कर रखी थी जो मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2012 को खारिज कर दी गई है । न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण क्रम 1 कोटा द्वारा अपीलान्ट की उक्त राशि रेस्पो0 नं0 1 से वसूली करने हेतु वसूली वारन्ट दिनांक 01.03.2013 को जिला कलक्टर (वसूली) कोटा को धारा 256/257 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत भेजा गया । उसके उपरान्त जिला कलक्टर कोटा द्वारा दिनांक 15.03.2013 को उक्त वसूली प्रकरण रेस्पो0 क्रम 6 के पास भेजा गया । जिस पर रेस्पो0 नं0 6 उपखण्ड अधिकारी सांगोद द्वारा ढाई वर्ष तक कोई कार्यवाही नही की गई । इस दौरान अपीलान्ट द्वारा बार बार पत्र व्यवहार करने पर रेस्पो0 नं0 6 उपखण्ड अधिकारी सांगोद द्वारा दिनांक 01.07.2015 को रेस्पो0 नं0 5 तहसीलदार सांगोद को पत्र लिखकर कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट मांगी गई । परन्तु उक्त राशि वसूली करने की कोई कार्यवाही नही की गई । इस प्रकार उक्त आराजी का इन्तकाल रेस्पो0 नं0 1 भगवानलाल ने तहसीलदार सांगोद व उपखण्ड अधिकारी सांगोद से आपस मे मिली भगत करके रेस्पो0 नं0 2,3,4 कृष्ण मुरारी, मधुसूदन, सुरेश के पक्ष मे खोला गया है जो न्याय पारित सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है । जानकारी की तिथि से नकल लेने मे लगे समय को कन्डोन करने कर अपील अवधि मध्य मानते हुए स्वीकार करने का निवेदन किया गया । अतः दोनो अपील स्वीकार की जाकर नामा0 सं0 495 दिनांक 07.09.2010 व नामा0 सं0 585 दिनांक 27.05.2011 को निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

2. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा प्राधिकरण कोटा के आदेश दिनांक 08.08.2008 मे अवार्ड जारी किया गया है जिस पर रेस्पो0 नं0 1 का वसूली का नोटिस जारी किया गया । रेस्पो0 सं0 1 द्वारा राजस्व न्यायालय मे वाद दायर कर स्वंय के खाते की आराजी का 1/4– 1/4 हिस्से की खातेदारी भगवान लाल, कृष्ण मुरारी, मधुसूदन व सुरेश कुमार के नाम करने की डिक्री पारित करवाई थी जिसके आधार पर नामान्तकरण सं0 495 दर्ज किया गया । तत्पश्चात रेस्पो0 1 भगवान लाल ने रेस्पो0 नं0 4 सुरेश के हक में अपने हिस्से की आराजी की रिलीजडीड की गई जिसके आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं0 585 दर्ज किया गया जबकि एमएसीटी कोर्ट द्वारा पारित निर्णय की पालना की कार्यवाही विचाराधीन थी । उक्त कार्यवाही एमएसीटी न्यायालय द्वाराजारी अवार्ड के विरूद्व की गई है । एमएसीटी कोर्ट की वसूली विवादित आराजी ख0 नं0 1886 व 1891 से होनी थी जिसका नामान्तरकरण रेस्पो0 भगवान लाल, कृष्ण मुरारी, मधुसूदन व सुरेश तथा तत्पश्चात भगवान लाल द्वारा अपने हिस्से की आराजी सुरेश के हक मे रिलीज डीड करने पर सुरेश 1/2 हिस्सा, मधुसूदन, कृष्ण मुरारी 1/2 हिस्सा का नामान्तकरण गलत रूप से खोला गया है । अतः उक्त अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण सं0 495 व 585 निरस्त किया जाये जिससे एमएसीटी कोर्ट के आदेश की पालना

मे वसूली कार्यवाही रेस्पो0 सं0 1 से की जा सके । अतः दोनो अपील स्वीकार की जाकर नामा0 सं0 495 दिनांक 07.09.2010 व नामा0 सं0 585 दिनांक 27.05.2011 को निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा बहस मे जाहिर किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2010 की पालना मे खोला गया नामान्तरकरण सं0 495 दिनांक 07.09.2010 नियमानुसार खोला गया है तथा किसी न्यायालय का स्थगन नही होने से रेस्पो0 नं0 1 ने रेस्पो0 नं0 के पक्ष मे दिनांक 26.04.2011 को रिलीज डीड निष्पादन के आधार पर नामा0 सं0 585 दिनांक 27.05.2011 खोला गया है । रिलीज डीड भी गलत निष्पादित किया जाना साबित नही होने से अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले खारिज करने का निवेदन किया गया । अपने कथनो के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त 2011(1)आरआरटी 270, 2011(2)आरआरटी 1205, 2016(1)आरआरटी 559, 2016(1)आरआरटी 340, 2018(1)आरआरटी 285 प्रस्तुत किये गये ।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । । सर्वप्रथम अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट मे देरी से अपील प्रस्तुत करने के जो कारण उल्लेखित किये है वे विश्वसनीय एवं सन्तोष जनक होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट स्वीकार की जाकर विलम्ब की अवधि क्षम्य योग्य होने से न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए डिले अवधि कन्डोन करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते है। प्रश्नगत नामान्तरकरण सं0 495 दिनांक 07.09.2010 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2010 की पालना मे खोला जाकर वादग्रस्त आराजी का रेस्पो0 1,2,3 व 4 भगवान लाल, कृष्ण मुरारी, मधुसूदन, सुरेश कुमार के खाते मे 1/4 – 1/4 हिस्सा दर्ज किया गया है । चूंकि नामान्तरकरण सं0 495 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद के निर्णय व डिक्री की पालना मे खोला गया है । इसमे किसी प्रकार की त्रुटि होना नही पाया जाता है ।

नामान्तरकरण सं0 585 दिनांक 27.05.2011 जो भगवान पुत्र श्रीलाल द्वारा विवादित आराजी ख0 नं0 896 व 891 मे अपने 1/4 हिस्से का जर्ये पंजीकृत रिलीज डीड सुरेश कुमार पुत्र भगवान के हक मे रिलीज करने पर दर्ज किया गया । एमएसीटी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना मे उनके द्वारा 01.03.2013 को अवार्ड राशि की वसूली हेतु प्रकरा जिला कलक्टर को प्रेषित किया गया परन्तु इससे पूर्व ही दिनांक 27.05.2011 को रजिस्टर्ड रिलीज डीड के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण दर्ज किया गया । अपीलांट द्वारा रिलीजडीड का गलत निष्पादन किया जाना भी साबित नही किया गया है । चूंकि प्रश्नगत नामान्तरकरण रजिस्टर्ड रिलीज डीड के आधार पर खोला गया है । अतः नामान्तकरण संख्या 585 मे किसी प्रकार की त्रुटि होना नही पायी जाती है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है ।

7. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट की दोनो अपील सं0 73/2018 व 74/2018 खारिज की जाती है ।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 10.12..2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा